रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939
No. 2336] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/ SRAVANA 26, 1939

Indiacode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

का.आ. 2670(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार बारह टन से अधिक भार वाले सकल यान के साथ श्रेणी एम3 और एन3 के हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक यानों के लिए स्थिर गति ईंधन खपत मानक, निम्नलिखित रूप में मोटर यानों की उक्त श्रेणी की बिक्री के लिए विनिर्माण या आयात के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(1) 1 अप्रैल 2018 को और उसके बाद से श्रेणी एम 3 और एन 3 के डीजल यानों सहित बारह टन और इससे अधिक भार वाले सकल यानका बीएस–IV उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए स्थिर गति ईंधन खपत हेतु परीक्षण किया जाएगा, जैसा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संगत मानक अधिसूचित होने तक किया जाएगा:

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्टयान ऐसे होंगे —

(i) 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त पहले चरण के मानकों के लिए नीचे दी गई सारणी में दिए गए समीकरण से लक्षित डीजल ईंधन खपत मान (1/100 कि. मी.) को पूरा करने वाले।

सारणी 1 (क)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भार क्षेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0-16.2	4x2	Y=0.362X+10.327
16.2-25.0	6x2	Y=0.603X+6.415

16.2-25.0	6x4	Y=0.723X+4.482
25.0-31.0	8x2	Y=0.527X+8.333
25.0-31.0	8x4	Y=0.928X-0.658
31.0-37.0	10x2	Y=0.960X-5.100

सारणी 1 (ख)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भारश्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0-16.2	4x2	Y=0.788X+9.003
16.2-25.0	6x2	Y=0.755X+9.546
16.2-25.0	6x4	Y=1.151X+3.122
25.0-31.0	8x2	Y=0.650X+12.160
25.0-31.0	8x4	Y=0.968X+7.692
31.0-37.0	10x2	Y=0.650X+12.160

सारणी 1 (ग)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलरयानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलर		
सकल यान भारश्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2-40.2	4x2	Y=0.986X-7.727
40.2-49.0	6x2	Y=0.628X+6.648
40.2-49.0	6x4	Y=1.255X-18.523

सारणी 1 (घ)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलरयानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलर		
सकल यान भारश्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2-40.2	4x2	Y=0.208X+32.198
40.2-49.0	6x2	Y=0.628X+15.298
40.2-49.0	6x4	Y=1.342X-13.390

सारणी 1 (ड.)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भारश्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 और ऊपर	4x2 और 6x2	Y=0.509X+11.062

indiacode

सारणी 1 (च)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 और ऊपर	4x2 और 6x2	Y=0.199X+19.342

(ii) नीचे दी गई सारणियों में 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त दूसरे चरण के मानकों के लिए समीकरणों से प्राप्त लक्ष्य डीजल ईंधन खपत मान (1/100 कि. मी.) पूरा करना।

सारणी 2 (क)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0-16.2	4x2	Y=0.329X+9.607
16.2-25.0	6x2	Y=0.523X+6.462
16.2-25.0	6x4	Y=0.673X+4.032
25.0-31.0	8x2	Y=0.430X+8.780
25.0-31.0	8x4	Y=0.732X+2.558
31.0-37.0	10x2	Y=0.963X-7.753

IndiaCode

सारणी 2 (ख)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0-16.2	4x2	Y=0.600X+9.890
16.2-25.0	6x2	Y=0.515X+11.271
16.2-25.0	6x4	Y=0.932X+4.515
25.0-31.0	8x2	Y=0.382X+14.598
25.0-31.0	8x4	Y=1.318X-5.148
31.0-37.0	10x2	Y=1.043X-5.913

सारणी 2 (ग)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलरयानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलर		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2-40.2	4x2	Y=0.826X-3.165
40.2-49.0	6x2	Y=0.630X+4.732
40.2-49.0	6x4	Y=1.008X-10.480

सारणी 2 (घ)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलरयानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रेक्टर ट्रेलर		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2-40.2	4x2	Y=0.260X+27.888
40.2-49.0	6x2	Y=0.2364X+28.838
40.2-49.0	6x4	Y=0.563X+15.728

सारणी 2 (ड.)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 और ऊपर	4x2 और 6x2	Y=0.659X+6.582

सारणी 2 (च)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 और ऊपर	4x2 और 6x2	Y=0.340X+14.300

जिसमें, X= टन में सकल यानभार

Y= लीटर / 100 कि. मी. में सामान्य मान (ईंधन खपत)

(3) अन्य सभी चार पहिया यान जो मानकों में शामिल नहीं किए गए हैं, इन्हें दो पहिया यान माना जाएगा और ये अपनी दो पहिया ड्राइव श्रेणी के मानकों के अनुरूप होंगे।

(4) 1 अप्रैल, 2018 को और इसके बाद से आरंभ होने वाले किसी राज कोषीय वर्ष में एक विशेष श्रेणी के प्रत्येक यान की ईंधन खपत पिछली सारणियों में निर्दिष्ट उस श्रेणी के समीकरण से प्राप्त ईंधन खपत मान से कम होंगी।

(5) ये सन्नियम केवल बीएस–IV उत्सर्जन मानकों के अनुपालन में रहने वाले यानों पर लागू होंगे और बीएस–VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले यानों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बीएस–IV मानक मानों में उचित सुधार कारक उपयोग हेतु तैयार किया जाएगा।

(6) अनुपालन और प्रवर्तन – (1) सभी यान विनिर्माता या यान आयातक जो भारत में मोटर यानों की बिक्री करते हैं, जैसा सारणियों में विनिर्दिष्ट हैं, वे इस अधिसूचना में निर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानकों का पालन करेंगे।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थिर गति ईंधन खपत विधि से उत्पादन की अनुरूपता का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो प्रत्येक दो वर्षों में एक बार संचालित किया जाएगा;

(3) यान के उत्पादन की कम से कम एक अनुरूपता अधिक से अधिक 1 अप्रैल, 2020 तक आयोजित की जाएगी;

IndiaCode

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीनसंबंधित मंत्रालयों के परामर्श से बिजली से चलने वाले मोटर यानों के लिए परीक्षण और गणना पद्धतियों, रिपोर्टिंग, गैर अनुपालनके परिणामों और समकक्षयान क्रेडिट से संबंधित उपाबंधों के साथ मानकों को लागू किया जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2017- ई सी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2017

S.O. 2670(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 read with section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the constant speed fuel consumption standard for heavy duty commercial vehicles of category M3 and N3 with gross vehicle weight exceeding twelve tonnes in accordance with the Central Motor Vehicle Rules, 1989, for the purpose of manufacturing or importing for sale of the said category of motor vehicles in the following manner, namely:—

(1) On and from 1st April, 2018, diesel vehicles of category M3 and N3 with gross vehicle weight of twelve tonnes and above, complying with BS-IV emission norms, shall be tested for constant speed fuel consumption as specified by the Ministry of Road Transport and Highways, till the time Bureau of Indian Standards notify corresponding standards:

(2) The vehicles referred to in clause (1) shall—

(i) meet the target diesel fuel consumption value (l/100km) derived from the equations given in the Tables below for the 1st Phase Norms effective from 1st April, 2018

Table 1(a)
For category N3- Rigid vehicles at 40 km/h

N3 Rigid vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (1/100km)
12.0-16.2	4x2	Y=0.362X+10.327
16.2-25.0	6x2	Y=0.603X+6.415
16.2-25.0	6x4	Y=0.723X+4.482
25.0-31.0	8x2	Y=0.527X+8.333
25.0-31.0	8x4	Y=0.928X-0.658
31.0-37.0	10x2	Y=0.960X-5.100

Table 1(b)
For category N3- Rigid vehicles at 60 km/h

N3 Rigid vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0-16.2	4x2	Y=0.788X+9.003
16.2-25.0	6x2	Y=0.755X+9.546
16.2-25.0	6x4	Y=1.151X+3.122
25.0-31.0	8x2	Y=0.650X+12.160
25.0-31.0	8x4	Y=0.968X+7.692
31.0-37.0	10x2	Y=0.650X+12.160

Table 1(c)
For category N3- Tractor Trailer vehicles at 40 km/h

N3 Tractor Trailer at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2-40.2	4x2	Y=0.986X-7.727
40.2-49.0	6x2	Y=0.628X+6.648
40.2-49.0	6x4	Y=1.255X-18.523

Table 1(d)
For category N3- Tractor Trailer vehicles at 60 km/h

N3 Tractor Trailer at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2-40.2	4x2	Y=0.208X+32.198
40.2-49.0	6x2	Y=0.628X+15.298
40.2-49.0	6x4	Y=1.342X-13.390

Table 1(e)
For category M3- Vehicles at 40 km/h

M3 Vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	Y=0.509X+11.062

IndiaCode

Table 1(f)
For category M3- Vehicles at 60 km/h

M3 Vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	Y=0.199X+19.342

(ii) meet the target diesel fuel consumption value (l/100km) derived from the equations given in the Tables below for the 2nd Phase Norms effective from 1st April, 2021

Table 2(a)
For category N3– Rigid vehicles at 40 km/h

N3 Rigid vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0-16.2	4x2	Y=0.329X+9.607
16.2-25.0	6x2	Y=0.523X+6.462
16.2-25.0	6x4	Y=0.673X+4.032
25.0-31.0	8x2	Y=0.430X+8.780
25.0-31.0	8x4	Y=0.732X+2.558
31.0-37.0	10x2	Y=0.963X-7.753

Table 2(b)
For category N3– Rigid vehicles at 60 km/h

N3 Rigid vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0-16.2	4x2	Y=0.600X+9.890
16.2-25.0	6x2	Y=0.515X+11.271
16.2-25.0	6x4	Y=0.932X+4.515

25.0-31.0	8x2	Y=0.382X+14.598
25.0-31.0	8x4	Y=1.318X-5.148
31.0-37.0	10x2	Y=1.043X-5.913

Table 2(c)
For category N3– Tractor Trailer vehicles at 40 km/h

N3 Tractor Trailer at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2-40.2	4x2	Y=0.826X-3.165
40.2-49.0	6x2	Y=0.630X+4.732
40.2-49.0	6x4	Y=1.008X-10.480

Table 2(d)
For category N3– Tractor Trailer vehicles at 60 km/h

N3 Tractor Trailer at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2-40.2	4x2	Y=0.260X+27.888
40.2-49.0	6x2	Y=0.2364X+28.838
40.2-49.0	6x4	Y=0.563X+15.728

Table 2(e)
For category M3– Vehicles at 40 km/h

M3 Vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	Y=0.659X+6.582

Table 2(f)
For category M3– Vehicles at 60 km/h

M3 Vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	Y=0.340X+14.300

Wherein, X = Gross vehicle weight in tonnes

Y = Normalized value (fuel consumption) in litres/100kms

(3) All other four wheel drive vehicles which are not covered in the norms shall be treated as two wheel drive vehicles and shall conform to the norms of their two wheel drive category.

(4) In any fiscal year commencing on and from the 1st day of April, 2018, the fuel consumption of each vehicle of a particular category shall be less than the fuel consumption value derived from the equation of that category as specified in the preceding tables.

(5) The norms shall apply only for vehicles complying with BS-IV emission norms and for the vehicles complying with BS-VI emission norms, the competent authority shall derive a suitable correction factor to be used on above mentioned BS-IV norm values.

(6) Compliance and enforcement.—(1) All the vehicle manufacturers or vehicle importers selling the motor vehicles in India, as specified in the Tables, shall comply with the energy consumption standards specified in this notification;

(2) The Ministry of Road Transport and Highways shall implement the conformity of production by constant speed fuel consumption method which shall be conducted once in every two years;

(3) At least one conformity of production for the vehicle has to be conducted latest by 1st April, 2020;

(4) The Ministry of Road Transport and Highways, shall enforce the norms along with provisions relating to testing and calculation methodologies, reporting, consequence of non-compliance and equivalent vehicle credits for electricity driven motor vehicles under the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in consultation with Ministries concerned.

[F. No. 10/1/2017-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.17 22:31:48 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.